

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र0क0 निगरानी / 2018 जिला-पन्ना
निगरानी-3586/2018/पन्ना/शु.रा

चिडड़ा चमार (मृतक) वारिसान:-
नन्दलाल पिता स्व0 चिडड़ा चमार
निवासी ग्राम सिलगी तहसील
देवेन्द्र नगर जिला पन्ना म0प्र0

---आवेदक

श्री. वी.के.शुक्ला
द्वारा आज दि. 11/6/18 को
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 18-6-18

विरुद्ध

गिल्लीबाई (मृत) वारिसान :-

- 1-श्रीमती सिरवतिया पुत्री गिल्लीबाई
पत्नी मूल चन्द्र निवासी जुडेहा तहसील
नागौद जिला सतना म0प्र0
- 2-श्रीमती परमी पुत्री गिल्ली बाई पत्नी
बन्दी ग्राम हड़हा तहसील नागौद
जिला सतना म0प्र0
- 3-श्रीमती न्योरी पुत्री गिल्ली बाई पत्नी
लोटना ग्राम मौहारी तहसील नागौद
जिला सतना म0प्र0
हाल निवासी ग्राम सिलगी तहसील
देवेन्द्र नगर जिला पन्ना म0प्र0

निगरानी आवेदन पत्र म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के
अन्तर्गत विरुद्ध आदेश दिनांक 4.10.17 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर
संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 1122/अ-6अ/2011-12.

माननीय महोदय,

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3586/2018/पन्ना/भू.रा.

चिड़डा चमार विरुद्ध गिल्लीबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-07-2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक श्री चिड़डा चमार के अभिभाषक श्री व्ही .के. शुक्ला को पूर्व में दिनांक 05-07-2018 को सुना गया था । 3. ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04-10-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । 4. अपर आयुक्त के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन कर स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है आवेदक व अनावेदक द्वारा 90 दिवस के भीतर वारसानों को रिकार्ड पर लाने की कार्यवाही नहीं की गई है । इस संबंध में आवेदक व अनावेदक दोनों फौत हे गये । इस स्थिति में प्रकरण में वारसानों की कार्यवाही विलंब से प्रस्तुत की गई । आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है । 5. अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष विधिसंगत है । जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्ट्या आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । 	

सिद्ध
सिद्ध

सदस्य
16.7.18